रजिस्ट्री सं.डीएल—(एन) 04/0007/2003—20 REGISTERED No.DL—(N) 04/0007/2003—20

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-सा.-02012021-224111
CG-DL-W-02012021-224111

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1] नई दिल्ली, शनिवार, जनवरी 2—जनवरी 8, 2021 (पौष 12, 1942)
No. 1] NEW DELHI, SATURDAY, JANUARY 2—JANUARY 8, 2021 (PAUSA 12, 1942)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 4
[PART III—SECTION 4]

[सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिसमें कि अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और सूचनाएं सम्मिलित हैं]

[Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies]

श्रम और रोजगार मंत्रालय
(कर्मचारी राज्य बीमा निगम)

नई दिल्ली, दिनांक 23 नवम्बर 2020

सं. ए-12/11/20/आयुश-भ.वि./2018-चि.-VI—कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 97 की उप-धारा (2) के खण्ड (xxi) और उप-धारा (2क) के साथ पठित उक्त धारा की उप-धारा (1) और धारा 17 की उप-धारा (2) एवं (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा कर्मचारी राज्य बीमा निगम चिकित्सा अधिकारी (होमियोपैथी) भर्ती विनियम, 2009 के अधिक्रमण में, ऐसे अधिक्रमण से पहले की गई अथवा किए जाने से छूट गई बातों के अलावा, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, एतदद्वारा कर्मचारी राज्य बीमा निगम में चिकित्सा अधिकारी (होमियोपैथी) और वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी (होमियोपैथी) पदों पर भर्ती की पद्धति को विनियमित करने हेतु निम्नलिखित विनियम बनाता है, नामत:—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ— (1) ये विनियम कर्मचारी राज्य बीमा निगम, चिकित्सा अधिकारी (होमियोपैथी) और वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी (होमियोपैथी), समूह 'क' पद, भर्ती विनियम, 2020 कहे जाएंगे।

   (2) ये शासकीय राजपत्र में इनके प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

2. अनुप्रयोज्यता - ये विनियम, इन विनियमों में संलग्न अनुसूची के कॉलम (1) में निर्दिष्ट पदों पर लागू होंगे।

पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाना है	यदि विभागीय पदोन्नति समिति मौजूद है तो उसकी संरचना क्या है	परिस्थितियां जिनमें भर्ती करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना है
(11)	(12)	(13)
पदोन्नति: 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होने के साथ विभागीय नर्सिंग अर्दली तथा वेतन मैट्रिक्स के लेवल-1 में (18,000-56,900) में छः वर्ष की नियमित सेवा जिसमें से 3 वर्ष का घावों की मरहम-पट्टी का अनुभव अनिवार्य है। टिप्पणी 1 : ड्रेसर के पद पर पदोन्नति के लिए कर्मचारी राज्य बीमा निगम के प्रशिक्षण संस्थान अथवा सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्णीत संस्था से पद की ड्यूटियों तथा कौशल विकास आदि क्षेत्र में अभ्यर्थी का प्रशिक्षण पूरा होना चाहिए। जिन व्यक्तियों की सेवानिवृत्ति दो वर्ष के भीतर होनी नियत है, उन्हें ऐसे प्रशिक्षण के पूर्ण करने से छूट प्राप्त होगी। बशर्ते विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक की तिथि से पूर्व पदोन्नति हेतु जिन व्यक्तियों ने प्रशिक्षण पूर्ण नहीं किया, उन पर भी इस शर्ताधीन विचार किया जाएगा कि विभागीय पदोन्नति समिति बैठक की तिथि के एक वर्ष के भीतर अपेक्षित प्रशिक्षण पूरा कर लिया जाएगा। टिप्पणी 2 : जहां पदोन्नति के लिए अपनी अर्हक अथवा पात्रता सेवा पूरी कर चुके कनिष्ठों पर विचार किया जा रहा है, वहां उनके वरिष्ठों की पदोन्नति पर भी विचार किया जाएगा बशर्ते अपेक्षित अर्हक अथवा पात्रता सेवा ऐसी अर्हक अथवा पात्रता सेवा के आधे से अधिक अथवा दो वर्ष, जो भी कम हो, से कम न हो तथा उन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर चुके अपने कनिष्ठों के साथ अगले उच्चतर ग्रेड में पदोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।	समूह 'ग' विभागीय पदोन्नति समिति (पदोन्नति के विचारार्थ) का गठन :- (1) अपर निदेशक, निदेशालय(चिकित्सा) अथवा चिकित्सा अधीक्षक अथवा उप चिकित्सा अधीक्षक, कर्मचारी राज्य बीमा निगम अस्पताल —अध्यक्ष; (2) निदेशक अथवा संयुक्त निदेशक अथवा उप निदेशक अथवा सहायक निदेशक, कर्मचारी राज्य बीमा निगम अस्पताल —सदस्य; (3) चिकित्सा अधिकारी से संबंधित विशेषज्ञता अधिमानत: (केंद्रीय अथवा राज्य सरकार से बाह्य नामिति) —सदस्य. समूह 'ग' विभागीय स्थायीकरण समिति (स्थायीकरण के विचारार्थ) का गठन :- (1) अपर निदेशक, निदेशालय(चिकित्सा) अथवा चिकित्सा अधीक्षक अथवा उप चिकित्सा अधीक्षक, कर्मचारी राज्य बीमा निगम अस्पताल —अध्यक्ष; (2) निदेशक अथवा संयुक्त निदेशक अथवा उप निदेशक अथवा सहायक निदेशक, कर्मचारी राज्य बीमा निगम अस्पताल —सदस्य; (3) चिकित्सा अधिकारी से संबंधित विशेषज्ञता अधिमानत: (केंद्रीय अथवा राज्य सरकार से बाह्य नामिति) —सदस्य.	लागू नहीं

अनुराधा प्रसाद
महानिदेशक

नई दिल्ली, दिनांक 1 दिसम्बर 2020

सं. ए-12/11/21/भेषज्ञ(आयुष)-भ.वि./2018-चि.-VI—कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 97 की उप-धारा (2) के खण्ड (xxi) और उप-धारा (2क) के साथ पठित उक्त धारा की उप-धारा (1) और धारा 17 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा कर्मचारी राज्य बीमा निगम (पराचिकित्सा पद) भर्ती विनियम, 2010 के अधिक्रमण में, ऐसे अधिक्रमण से पहले की गई अथवा किए जाने से छूट गई बातों के अलावा, जहां तक कि वे भेषजज्ञ (आयुर्वेद) पद से संबंध रखते हैं में, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, एतदद्वारा कर्मचारी राज्य बीमा निगम में भेषजज्ञ (आयुर्वेद) के पद पर भर्ती की पद्धति को विनियमित करने हेतु निम्नलिखित विनियम बनाता है, नामत:—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ— (1) ये विनियम कर्मचारी राज्य बीमा निगम, भेषजज्ञ (आयुर्वेद), भर्ती विनियम, 2020 कहे जाएंगे।

(2) ये शासकीय राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. राष्ट्रीयता- अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिए होना चाहिए :—

(क) भारत का नागरिक; अथवा

(ख) वह व्यक्तियों की ऐसी श्रेणियों से संबंध रखता/रखती हो जो इस संबंध में भारत सरकार के कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा समय-समय पर अधिसूचित की गई हों।

3. पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में लेवल— पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनसे संबद्ध वेतन मैट्रिक्स में लेवल, इन विनियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम (2) से (4) में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।

4. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अन्य अर्हताएं, आदि— भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य मामले उक्त अनुसूची के कॉलम (5) से (13) में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।

5. शारीरिक स्वस्थता :—

(1) अभ्यर्थी का अच्छा मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य हो तथा वह किसी भी ऐसे शारीरिक विकार से मुक्त हो, जिससे सेवा में एक अधिकारी/कर्मचारी के रूप में अपने कर्तव्यों के निर्वहन में किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न होने की आशंका हो।

(2) अभ्यर्थी, जो महानिदेशक द्वारा निर्धारित इस प्रकार की शारीरिक परीक्षा के पश्चात इस विनियम के खंड (1) की आवश्यकता को संतोषजनक रूप से पूर्ण करता नहीं पाया जाता है, तो नियुक्त नहीं किया जाएगा।

टिप्पणी : शारीरिक स्वस्थता तथा अभ्यर्थी की परीक्षा कर उसे नियुक्ति हेतु शारीरिक रूप से स्वस्थ घोषित करने के लिए सक्षम चिकित्सा प्राधिकारियों हेतु मानदंड केंद्रीय सरकार के अधीन तदनुरुपी नियुक्ति के समान ही होगा।

6. निरर्हता— ऐसा कोई व्यक्ति—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह करने का करार किया है, जिसका विवाहिती जीवित है; अथवा

(ख) जिसने अपने विवाहिती के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है अथवा विवाह करने का करार किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

परन्तु यदि कर्मचारी राज्य बीमा निगम के महानिदेशक इस बात से संतुष्ट हैं कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार पर लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, तो वे किसी व्यक्ति पर इस विनियम के प्रचालन से छूट दे सकेंगे।

7. शिथिलता प्रदत्त करने की शक्ति— जहां कर्मचारी राज्य बीमा निगम के महानिदेशक की राय में ऐसा करना आवश्यक अथवा समीचीन है, तो वे तत्संबंधी कारणों को लेखबद्ध करके तथा अध्यक्ष, कर्मचारी राज्य बीमा निगम के पूर्व अनुमोदन से व्यक्तियों की किसी श्रेणी अथवा वर्ग के संबंध में इन विनियमों के किसी भी उपबंध में, आदेश द्वारा, शिथिलता दे सकते हैं।

8. व्यावृत्ति— इन विनियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुरूप अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों तथा अन्य विशेष वर्गों के व्यक्तियों के लिए प्रदान करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में लेवल	क्या चयन पद है अथवा गैर चयन पद	सीधी भर्ती होने वालों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
भेषजज्ञ (आयुर्वेद)।	54*(2020)	समूह 'ग',	वेतन मैट्रिक्स में लेवल-5	लागू नहीं।	18 से 25 वर्ष के बीच (केंद्र सरकार द्वारा समय-समय पर जारी

	*कार्यभार के आधार पर भिन्नता के अध्यधीन।	गैर -अनुसचिवीय।	(29,200-92,300 रुपये)		अनुदेशों या आदेशों के अनुसार कर्मचारी राज्य बीमा निगम के कर्मचारियों के लिए 40 वर्ष की आयु तक शिथिलनीय)। टिप्पणी : आयु-सीमा निर्धारित करने के लिए निर्णायक तिथि भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि होगी (न कि असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश के लाहौल एवं स्पीति जिले तथा चंबा जिले का पांगी उप खंड, लद्दाख, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह या लक्षद्वीप के संघ राज्य-क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित अंतिम तिथि।)

सीधी भर्ती के माध्यम से नियुक्त किए जाने वालों के लिए अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य अर्हताएं	क्या सीधी भर्ती वालों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं पदोन्नति पाने वालों के मामले में भी लागू होंगी	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति, क्या सीधी भर्ती द्वारा अथवा पदोन्नति द्वारा अथवा प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा है तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
अनिवार्य अर्हता : 1. किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से विज्ञान विधा (भौतिक विज्ञान या रसायन विज्ञान या जीव विज्ञान) में 12वीं कक्षा उत्तीर्ण; 2. केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त किसी संस्थान से आयुर्वेद में बैचलर ऑफ फार्मेसी के साथ किसी केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त आयुर्वेदिक औषधालय या अस्पताल में भेषजज्ञ के रूप में एक वर्ष का अनुभव। या केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्थान से आयुर्वेदिक फार्मेसी में डिप्लोमा (उक्त डिप्लोमा 2 वर्ष की अवधि से कम नहीं) के साथ केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त आयुर्वेदिक औषधालय या अस्पताल से भेषजज्ञ के रूप में तीन वर्ष का अनुभव। टिप्पणी 1 : अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों के मामले में अर्हताएं सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिलनीय हैं। टिप्पणी 2 : अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से संबंधित अभ्यर्थियों के मामले में यदि चयन के किसी भी चरण पर सक्षम प्राधिकारी की यह राय होती है कि इन समुदायों से अपेक्षित अनुभव रखने वाले अभ्यर्थी उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए पर्याप्त संख्या में उपलब्ध न होने की आशंका है तो अनुभव संबंधी अर्हताएं सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिलनीय हैं।	लागू नहीं।	दो वर्ष।	सीधी भर्ती द्वारा। टिप्पणी 1 : पदधारियों द्वारा एक वर्ष अथवा अधिक की अवधि के लिए प्रतिनियुक्ति पर बाहर होने अथवा लंबी बीमारी अथवा अध्ययनार्थ छुट्टी अथवा अन्य किन्हीं परिस्थितियों की वजह से उत्पन्न रिक्तियां केंद्र सरकार के अधिकारियों से प्रतिनियुक्ति आधार पर भरी जाएंगी : (क) मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सादृश पदधारी; तथा (ख) कॉलम (7) के अंतर्गत सीधी भर्ती वालों के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यता धारक। (समान अथवा केंद्रीय सरकार के किसी अन्य संगठन अथवा विभाग में इस नियुक्ति से तुरंत पहले धारित अन्य संवर्ग बाह्य पद में प्रतिनियुक्ति की अवधि सहित प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्यत: तीन वर्षों से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा, आवेदन की प्राप्ति की अंतिम तिथि पर 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।)

पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति अथवा आमेलन किया जाना है	यदि विभागीय पदोन्नति समिति मौजूद है, तो उसकी संरचना क्या है	वे परिस्थितियां जिनमें भर्ती करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना है
(11)	(12)	(13)
लागू नहीं	समूह 'ग' विभागीय स्थायीकरण समिति (स्थायीकरण के विचारार्थ) का गठन :- (1) अपर निदेशक, निदेशालय (चिकित्सा) या चिकित्सा अधीक्षक या उप चिकित्सा अधीक्षक, कर्मचारी राज्य बीमा निगम अस्पताल —अध्यक्ष (2) निदेशक या संयुक्त निदेशक या उप निदेशक या सहायक निदेशक, कर्मचारी राज्य बीमा निगम अस्पताल —सदस्य (3) चिकित्सा अधिकारी विशेषत: संबंधित विशेषज्ञता से (केंद्रीय या राज्य सरकार से बाहर का नामांकित व्यक्ति) —सदस्य	लागू नहीं।

अनुराधा प्रसाद
महानिदेशक

---

3. Medical Officer preferably from specialty concerned (outside nominee from Central Government or State Government) -Member. Group 'C' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of- 1. Additional Director, Directorate (Medical) or Medical Superintendent or Deputy Medical Superintendent, Employees' State Insurance Corporation Hospital -Chairman; 2. Director or Joint Director or Deputy Director or Assistant Director, Employees' State Insurance Corporation Hospital -Member; 3. Medical Officer preferably from specialty concerned (outside nominee from Central Government or State Government) -Member.	

ANURADHA PRASAD
Director General

The 1st December 2020

No. A-12/11/21/Pharm(Ayush)-RR/2018-Med.-VI—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 97, read with clause (xxi) of sub-section (2) and sub-section (2A) of the said section and sub-section (2) of section 17 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948) and in supersession of the Employees State Insurance Corporation (Para Medical post), Recruitment Regulations, 2010, in so far as they relate to the post of Pharmacist (Ayurvedic), except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Employees' State Insurance Corporation hereby makes the following regulations regulating the method of recruitment to the post of Pharmacist (Ayurvedic) in Employees' State Insurance Corporation, namely:-

1. Short title and commencement.- (1) These Regulations may be called the Employees' State Insurance Corporation, Pharmacist (Ayurveda), Recruitment Regulations, 2020.

   (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Nationality. - A candidate for appointment must be: -

   (a) a Citizen of India; or

   (b) he/she must belong to such categories of persons as may from time to time, be notified in this behalf by the Government of India in the Department of Personnel and Training, Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions.

3. Number of post, classification and level in the pay matrix. - The number of post, its classification and level in the pay matrix attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these regulations.

4. Method of recruitment, age -limit, other qualifications, etc.- The method of recruitment, age -limit, qualifications and other matters relating thereto, shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

5. Physical fitness. - (1) A candidate must be in good mental and bodily health and free from any physical defect likely to interfere with the discharge of his duties as an officer/employee in the service.

   (2) A candidate who after such physical examination as the Director General may prescribe is found not to satisfy the requirement of clause (1) of this regulation will not be appointed.

   Note: The standard of physical fitness and the competent medical authorities to examine and declare a candidate physically fit for appointment, will be same as for corresponding appointment under the Central Government.

6. Disqualification. - No person,-

   (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

   (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

   shall be eligible for appointment to the said post:

   Provided that the Director General of the Employees' State Insurance Corporation may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this regulation.

7. Power to relax.-Where the Director General of the Employees' State Insurance Corporation is of the opinion that it is necessary or expedient so do to, he may, by order, for reasons to be recorded in writing, and with the prior approval of the

Chairman, Employees' State Insurance Corporation, relax any of the provisions of these regulations with respect to any class or category of persons.

8. Savings.- Nothing in these regulations shall affect reservation, relaxation of age- limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Schedules Tribes, Other Backward Classes, ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post.	Number of post.	Classification.	Level in the Pay matrix.	Whether selection post or non-selection post.	Age-limit for direct recruits.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Pharmacist (Ayurveda).	54* (2020) *Subject to variation dependent on workload.	Group 'C', Non-Ministerial.	Level-5 in the pay matrix (Rs. 29,200-92,300).	Not applicable.	Between 18 and 25 years. (Relaxable for employees of Employees' State Insurance Corporation upto 40 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time). Note.- The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Lahaul and Spiti District and Pangi sub-division of Chamba district of Himachal Pradesh, the Union Territories of Ladakh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).

Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods.
(7)	(8)	(9)	(10)
Essential qualification: 1. 12th Class passed with Science stream (Physics or Chemistry or Biology) from a recognised board and; 2. Bachelor of Pharmacy in Ayurveda from a Central Government or State Government recognized institute with one year experience as Pharmacist (Ayurveda) from any Central Government or State Government recognised Ayurvedic Dispensary or Hospital. OR Diploma in Ayurvedic Pharmacy(said diploma is not less than 2 years' duration) from a Central Government or State Government recognised institute with three years experience as Pharmacist (Ayurveda) from any Central Government or State Government recognised	Not applicable.	Two years.	By direct recruitment. Note.- Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for duration of one year or more may be filled on deputation basis from official of Central Government: (a) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; and (b) possessing educational qualification and experience prescribed for direct recruits under column (7).

Ayurvedic Dispensary or Hospital. Note 1.- Qualifications are relaxable at the discretion of the competent authority in case of candidates otherwise well qualified. Note 2.- The qualifications regarding experience are relaxable at the discretion of the competent authority in the case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes, if at any stage of selection the competent authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.			(Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or Department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of application).

In case of recruitment by promotion or deputation or absorption grade from which promotion or deputation or absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment.
(11)	(12)	(13)
Not applicable.	Group 'C' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of- 1. Additional Director, Directorate (Medical) or Medical Superintendent or Deputy Medical Superintendent, Employees' State Insurance Corporation Hospital. -Chairman; 2. Director or Joint Director or Deputy Director or Assistant Director, Employees' State Insurance Corporation Hospital. -Member; 3. Medical Officer preferably from specialty concerned (outside nominee from Central or State Government). -Member.	Not applicable.

ANURADHA PRASAD
Director General

महाप्रबंधक, भारत सरकार मुद्रणालय, मिन्टो रोड, नई दिल्ली–110002 द्वारा अपलोड एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली–110054 द्वारा ई–प्रकाशित
UPLOADED BY GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI-110002
AND E-PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054